

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2023

जयपुर दिनांक

12 JUN 2023


::अधिसूचना::

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारिता वाला विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है। उक्त न्यायालय का अधिकारिता क्षेत्र कॉलम संख्या 4 के अनुसार होगा। उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. संख्या 2, जोधपुर प्रकरण)	जोधपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नोट:- वर्तमान में कार्यरत विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) जोधपुर का नाम परिवर्तित करते हुए विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस. प्रकरण) संख्या 1, जोधपुर किया जाता है।


राज्यपाल के आदेश से,

  
(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर  
बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक,  
जोधपुर।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार,  
जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की  
वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
(आशुतेज कुमार)  
संयुक्त शासन सचिव